



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 भाद्र , 1943 (श०)

संख्या-453 राँची, शुक्रवार,

3 सितम्बर, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

5 जुलाई, 2021

संख्या-3/पद०-01(ग)-04/2014 का. 2957-- उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, पलामू के पद पर पदस्थापित श्री शेखर जमुआर, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 682/03, गृह जिला- पटना), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-3/पद०-01(ग)-04/2014 का. 2958--संयुक्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री अनिलसन लकड़ा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 781/03, गृह जिला- राँची), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-3/पद०-01(ग)-04/2014 का. 2959--अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर, देवघर के पद पर पदस्थापित श्री योगेन्द्र प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 48/20, गृह जिला- कोडरमा), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपने वेतनमान में सहायक निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-3/पद०-01(ग)-04/2014 का. 2960--उप निर्वाचन पदाधिकारी, देवघर के पद पर पदस्थापित श्री विशालदीप खलखो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 116/20, गृह जिला- राँची), की सेवा मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री खलखो को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत गिरिडीह अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है ।

संख्या-3/पद०-01(ग)-04/2014 का. 2961--अनुमण्डल पदाधिकारी, राजमहल (साहेबगंज) के पद पर पदस्थापित श्री हरिवंश पंडित, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 5/20, गृह जिला- गिरिडीह), की सेवा भूमि सुधार उप समाहर्ता, चाईबासा, प० सिंहभूम के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है ।

संख्या-3/पद०-01(ग)-04/2014 का. 2962--कार्यपालक पदाधिकारी, बुण्डू नगर पंचायत के पद पर पदस्थापित श्री अजय कुमार साव, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 105/20, गृह जिला- धनबाद), को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, बुण्डू, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री साव को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत बुण्डू अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है ।

iii. श्री साव अपने कार्यों के साथ कार्यपालक पदाधिकारी, बुण्डू नगर पंचायत के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे ।

संख्या-3/पद०-01(ग)-04/2014 का. 2963--जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा के पद पर पदस्थापित श्री अनिल कुमार यादव, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 2/20, गृह जिला- गोड्डा), की सेवा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक इन्हें अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री यादव को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत बरही अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है ।

संख्या-3/पद०-01(ग)-04/2014 का. 2964--जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो के पद पर पदस्थापित श्री रौशन कुमार साह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 63/20, गृह जिला- गोड्डा), की सेवा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक इन्हें अनुमण्डल पदाधिकारी, राजमहल, साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री साह को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत राजमहल अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

संख्या-3/पद०-01(ग)-04/2014 का. 2965--सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित **श्रीमती सुषमा बड़ाईक**, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 408/20, गृह जिला- गुमला), की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक इन्हें अपने वेतनमान में अवर सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-3/पद०-01(ग)-04/2014 का. 2966--अंचल अधिकारी, सिल्ली, राँची के पद पर पदस्थापित **श्री गिरिजा नंद किस्कु**, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 509/20, गृह जिला- बोकारो), की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक इन्हें कार्यपालक दण्डाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री किस्कु को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत पश्चिमी सिंहभूम के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

2. वैसे पदाधिकारी जिनके स्थान पर किसी अन्य का पदस्थापन हो गया है एवं उनका पदस्थापन कहीं नहीं किया गया है, वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,

सरकार के संयुक्त सचिव ।
